न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
20 / 2020	28.02.2020	29.01.2025

पीठासीन अधिकारी – दमयन्ती कंवर (R.A.S.)

उनवान

1. बनवारीलाल पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

2. बलवीर पुत्र भैभारामजाति जाट निवासी ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

वादीगण

विपरीत

1. मैनुदीन खां पुत्र फैजु खां
2. लियाकत अली
3. शोकत अली

पुत्रगण मुकारब खां

4. अरसद अली
5. रजीया बानो पत्नी मोहम्मद हुसैन
6. राशीद अली
7. सलीम खांन

पुत्रगण मोहम्मद हुसैन

8. इस्लाम अली
9. असलम अली
10. अब्बास अली
11. इलियास अली

पुत्रगण स्वं यासीन खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

12. पटवारी वाके ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
13. तहसीलदार फतेहपुर जरिये भूमिधारक राजस्थान सरकार।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

दावा बाबत उदघोषणा व बंटवारा

उपस्थित अधिवक्ता
श्री जाबिर अली -- वादीगण
श्री अमित महला -- प्रतिवादीगण सं0 1 ता 11

दिनांकः--29.01.2025

निर्णय

हस्तगत प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद बाबत उदघोषणा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान के स्थायी निवासीगण है व प्रतिवादीगण वाके ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान के स्थायी निवासीगण है भूमि पुराना नम्बर 08 व नया 1412 रकबा 0.77 है०, खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.82 है। कुल किता 02 कुल रकबा 1.59 है० वाके ग्राम तनाँजा बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान से अवस्थित है।

भूमि पुराना नम्बर 08 व नया 1412 रकबा 0.77 है०, खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.82 है० कुल किता 02 कुल रकबा 1.59 है० वाके ग्राम तनाजा बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान मे अवस्थित है और उक्त भूमि पर वादीगण के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पूर्व से ही काश्त करते आ रहे है जो राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी मे दर्ज है व वर्तमान में उक्त भूमि पुराना खसरा नम्बर 08 व नया खसरा नम्बर 1412 रकबा 0.77 है०, पर वादी संख्या 01 बनवारी का हक अधिकार व कब्जा काश्त है व खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.82 है० पर वादी संख्या 02 बलबीर का हक अधिकार व कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिये उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है।

वादग्रस्त भूमि पुराना 08 व नया 1412 रकबा 0.77 है०, खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.82 है० कुल किता 02 कुल रकबा 1.59 है० वाके ग्राम तनाजा बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान मे अवस्थित है उक्त वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी वर्तमान मे वादीगण के नाम ना होकर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 13 के पूर्वज फैजु खां के नाम गलत रूप से दर्ज है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव मे अने से पूर्व ही वादीगण के पूर्वज उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त करते थे व वर्तमान मे वादीगण का कब्जा काश्त है उक्त वादग्रस्त सम्पदा की जमाबन्दी वादीगण के नाम नही होने के कारण वादीगण उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित सरकारी योजानाओ का लाभ भी नही ले पा रहा है वादीगण अपनी भूमि पर ऋण लेने हेतु खाते की नकल निकलवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने बताया कि सम्पूर्ण भूमि फैजु खां पुत्र पन्ने खां जाति [illegible] निवासी ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी मे [illegible] है [illegible] कारण सर्वप्रथम जानकारी हुई इसलिये राजस्व रिकॉर्ड की खा[illegible] खातेदारी दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक व न्याय संगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

भूमि पुराना नम्बर 08 व नया 1412 रकबा 0.77 है०, खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.82 है० कुल किता 02 कुल रकबा 1.59 है० वाके ग्राम तनाजा बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान मे अवस्थित है वाके ग्राम तनाजा बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान मे वादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान में प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज रहने से वादीगण के हितो पर विपरीत प्रभाप पड़ रहा है इसलिये राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कर भूमि पुराना नम्बर 08 व नया 1412 रकबा 0.77 है0, खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.82 है० कुल किता 02 कुल रकबा 1.59 है० वाके ग्राम तनाजा बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है वादग्रस्त सम्पदा पर वादीगण को खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाना प्रार्थनीय है।

प्रतिवादीगण को वादीगण के द्वारा बार बार राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर भूमि पुराना नम्बर 08 व नया 1412 रकबा 0.77 है0, खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.82 है० कुल किता 02 कुल रकबा 1.59 है० वाके ग्राम तनाजा बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान मे अवस्थित भूमि की खातेदारी उदघोषित करवाने के लिये कहा गया परन्तु पहले तो प्रतिवादीगण के द्वारा कहा गया कि आपकी भूमि पुराना खसरा नम्बर 08 व नया 1412 रकबा 0.77 है०, खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.82 है० कुल किता 02 कुल रकबा 1.59 है० वाके ग्राम तनाजा बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान मे अवस्थित भूमि की खातेदारी आपके नाम करवा देगे परन्तु आज से दो दिन पहले प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करवाने से मना कर दिया इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 12 हल्का पटवारी व प्रतिवादी संख्या 13 भूमि धारक तहसीलदार होकर राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व कानूनन दो माह का 80 सी पी सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन दावा आवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस देकर दावा पेश करने से दावे का उदेश्य ही समाप्त हो जायेगा व वाद बहुलता बढेगी इसलिए बिना नोटिस दिये ही वाद पेश किया जा रहा है जिसकी अनुमति के लिए अलग से 80 (2) सी पी सी का आवेदन अलग से सादर प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार ग्राम बेसवा में स्थित होने से इस वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है।

वाद बाबत उदघोषणा होने से प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।वाद वादी निर्धारित न्यायशुल्क पर सावधि पेश है।

वादीगण निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते है :-

(क) यह कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण को डिकी फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 08 व नया 1412 रकबा 0.77 है०, खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.82 है० कुल किता 02 कुल रकबा 1.59 है० वाके ग्राम तनाजा बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान से प्रतिवादीगण के पूर्वज फैजु खां पुत्र पन्ने खां का नाम दर्ज भूमि से वादीगण को खातेदार, काश्तकार उदघोषित किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 के पूर्वज फैजु खां पुत्र पन्ने खां का नाम भूमि खसरा नम्बर 08 व नया 1412 रकबा 0.77 है0, खसरा नम्बर 1413 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

0.82 है० कुल किता 02 कुल रकबा 1.59 है0 में से हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाना प्रार्थनीय है।

(ख) यह कि वर्तमान खसरा नम्बर 1412 रकबा 0.77 है० व खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.82 है० कुल किता 02 कुल रकबा 1.59 है0 मे वादीगण का 1/2, 1/2 हिस्सा भूमि भाग पर कब्जा काश्त है वादी संख्या 01 बनवारी भूमि खसरा नम्बर 1412 रकबा 0.77 है० व वादी संख्या 02 बलबीर भूमि खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.82 है० पर काबिज है मुताबिक कब्जा काश्त भूमि का वादीगण के मध्य बटवारा किया जाना प्रार्थनीय है।

(ग) यह कि अन्य कोई न्यायोचियत सहायता जो वादीगण के पक्ष मे हो न्यायालय से प्रदान की जावे।

(घ) यह कि खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की ओर से अधिवक्ता श्री अमित महला ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत नहीं करने बाबत निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 12 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 13 राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें वाद पत्र के किसी भी कथन का पूरजोर विरोध नहीं किया है। दौरान सुनवाई प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का बेसवा जो तहसीलदार फतेहपुर द्वारा पत्रांक 1476 दिनांक 28.07.2023 के अनुसार वादाधीन खसरा नम्बर की भूमि पर बनवारीलाल पुत्र दीपाराम व बलवीर पुत्र भेभाराम जाति जाट निवासीगण कांगणसर पिछले 50–60 वर्षो से कब्जा काश्त कर रहे है तथा उक्त बनवारी लाल व बलवीर दीपाराम व भेभाराम के वारिस है।
इसके साथ ही यह भी उल्लेख किया है कि न्यायालय के पत्रांक 61 दिनांक 07.06.2023 के द्वारा ग्राम बेसवा के ख0न0 1 ता 58 की तथ्यात्मक रिपोर्ट भू–प्रबन्ध अधिकारी ,सीकर से चाही गयी थी। भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर ने पत्रांक 168 दिनांक 22.06.2023 के द्वारा उक्त पत्र के बिन्दू संख्या 2 में उल्लेखनीय है कि उपरोक्त भूमियों बाबत उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर ने तहसीलदार फतेहपुर को अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के पत्रानुसार कार्यवाही हेतू लिखे जाने पर तहसीलदार फतेहपुर द्वारा उक्त भूमि बाबत स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमे लिखा गया है कि उक्त खसरा नं0 1 से 58 की खसरा गिरदावरी अंकन सही है उक्त भूमि ग्राम कांगणसर से हटाने के आदेश जारी कर दिये गये तथा बेसवा में शामिल करने के आदेश तो जारी कर दिये गये परन्तु उक्त भूमि किसके नाम से दर्ज की जायेगी का स्पष्ट आदेश जारी नहीं होने से जमाबंदी में नही आ सकी। जबकि उसी समय खसरा गिरदावरी 2015 के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिये था उस समय रिकार्ड में दर्ज किया हुआ होता तो भू–प्रबन्ध विभाग उसी समय नवीन रिकार्ड तैयार कर देता। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर ने श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर के पत्रानुसार कार्यवाही नहीं की जाकर भूमि बेसवा में शामिल करने के आदेश दिये गये परन्तु टाइटल पूर्वक करने के आदेश पारित किये गये जबकि मौका जांच व गिरदावरी के अनुसार किये जाने चाहिये थे द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान अभिलेखन करते समय उपरोक्त ख0 नं0 1 से 58 की जमाबंदी नहीं मिलने से राजस्व अधिकारियों से पत्राचार किया गया। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर के पत्र क्रमांक 101–103 दिनांक 11.01.2012 के आदेशानुसार नवीन भू–प्रबन्ध का रिकार्ड तैयार किया गया। वादी की ओर से बतौर साक्ष्य नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल गिरदावरी सम्वत् 2011–2014,2029–2031, 2032–2035, जमाबन्दी संवत 2074–2077 प्रस्तुत की गयी। जिसके अनुसार एवं तथ्यात्मक

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

रिपोर्ट तहसीलदार फतेहपुर अनुसार सर्वप्रथम वादीगण के पूर्वज भेभा व दीपा पुत्र सुरजा जाति जाट सम्वत् 2011–2014 की गिरदावरी में बतौर उपकृषक दर्ज है अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पूर्व ही उक्त सुरजा उपकृषक के रूप में दर्ज रहे है एवं तत्पश्चात निरन्तर उक्त सुरजा का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अभिलेखीय स्थिति का अवलोकन किया गया। अन्तिम निष्कर्ष से पूर्व विधिक स्थिति निम्न प्रकार है– उल्लेखित है कि धारा 19 की उपधारा 1 के अनुसार केवल निम्न 2 श्रेणियो को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते है–

(1) खुदकाश्त का अभिधारी (2) उपअभिधारी ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों में से दो में सें एक पूरी करनी होगी।

खण्ड (क)– जो इस अधिनियम के प्रवृत होने की दिनांक अर्थात 15–10–1955=संवत् 2012 की वार्षिक रजिस्टर में खुदकाश्त का अभिधारी या उप अभिधारी दर्ज है।

खण्ड(ख)– जो ऐसा दर्ज नहीं था, परन्तु भूमि पर उक्त दिनांक को खुदकाश्त अभिधारी या उप–अभिधारी था। {बाग (ग्रूव लैण्ड) पर लागू नहीं होगा}

इस खण्ड (क) में खातेदारी अधिकारियों को कानून के प्रवर्तन द्वारा दिया गया है, जबकि खण्ड(ख) में आधार(2) में बताए गए तरीके से इसकी घोषणा प्राप्त करनी होगी।

बहस उभयपक्षकारान को सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने न्यायिक उद्धरण 1988 आरआरडी 585 खण्ड (पीठ) शंभु बनाम कान्हा प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख है कि "नियमित वाद संस्थित करने के सारवान उपचार का अपवर्जन नहीं– घोषणार्थ वाद केवल इसलिए अपवर्जित नहीं हो जाता है, क्योंकि वादी ने धारा 19(2) के अधीन इस अधिनियम के प्रवृत होने से दो वर्ष के भीतर आवेदन नहीं किया। {1973 आर.आर.डी.207, 1978 आर.आर.डी 512 तथा 1987 आर.आर.डी 304 प्रसंगित।}

वकील वादी ने 1993 आरआरडी, 431 सूरजमल बनाम मांगीलाल प्रस्तुत की जिसके अनुसार "वार्षिक रजिस्टर का महत्व {धारा 19(1)} भूतपुर्व जयपूर राज्य के राजस्व कानून के संदर्भ में खसरा गिरदावरी एक वार्षिक रजिस्टर था और उसमें जिस व्यक्ति का नाम उप–अभिधारी के रूप मे प्रविष्ट है, वह खातेदारी अधिकारों का हकदार है। अतः इसे सहायक कलक्टर के समक्ष घोषणार्थ वाद फाईल करने को आवश्यकता नहीं है।"

वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनों में ही दोहराया गया। प्रतिवादी संख्या 13 तहसीलदार फतेहपुर द्वारा भी बहस में अभिलेखीय स्थिति अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट की पुष्टि गई।

वाद पत्र में वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक एवं मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के अवलोकन एवं परिशीलन से यह स्थिति तो सुस्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वज दीपा व भेभा पुत्रगण सुरजा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पूर्व अर्थात सम्वत् 2011 से 2014 की गिरदावरी में उपकृषक के रूप में थे एवं भूतपूर्व जयपुर राज्य में खसरा गिरदावरी राजस्व कानून के संदर्भ में वार्षिक रजिस्टर था। तदानुसार उक्त सुरजा खातेदारी अ[illegible]त कर चुके थे परन्तु राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में खातेदारी के रूप में प्रवि[illegible] इस तथ्य का उल्लेख भू–प्रबन्ध विभाग के पत्रांक 168 दिनांक 22.06.2023 [illegible] बिन्दु संख्या 2 में भी किया है कि उपरोक्त भूमियों बाबत उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर ने तहसीलदार फतेहपुर को अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के पत्रानुसार कार्यवाही हेतु [illegible]े जाने पर तहसीलदार फतेहपुर ने उक्त भूमि बाबत स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमे लिखा गया है कि उक्त खसरा नं0 1 से 58 की खसरा गिरदावरी अंकन सही है उक्त भूमि ग्राम कांगणसर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

हटाने के आदेश जारी कर दिये गये तथा बेसवा में शामिल करने के आदेश तो जारी कर दिये गये परन्तु उक्त भूमि किसके नाम से दर्ज की जायेगी का स्पष्ट आदेश जारी नहीं होने से जमाबंदी में नही आ सकी। जबकि उसी समय खसरा गिरदावरी 2015 के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिये था उस समय रिकार्ड में दर्ज किया हुआ होता तो भू–प्रबन्ध विभाग उसी समय नवीन रिकार्ड तैयार कर देता। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर ने अतिरिक्त जिला कलक्टर के पत्रानुसार कार्यवाही नहीं की जाकर भूमि बेसवा में शामिल करने के आदेश दिये गये परन्तु टाइटल पूर्ववृत करने के आदेश पारित किये गये जबकि मौका जांच व गिरदावरी के अनुसार किये जाने चाहिये था। भू–प्रबन्ध विभाग के उक्त पत्र के कथन से भी यह प्रमाणित हो रहा है कि वादीगण के पूर्वज सुरजा को जमाबन्दी में खातेदार दर्ज किया जाना अपेक्षित था।

उपरोक्त अभिलेखीय स्थिति एवं विधिक स्थिति के सम्पूर्ण विवेचन पश्चात इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि वाद वादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 08 व नया 1412 रकबा 0.77 है०, खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.82 है० कुल किता 02 कुल रकबा 1.59 है० वाके ग्राम तनाजा बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान, वादीगण बनवारीलाल पुत्र दीपाराम व बलवीर पुत्र भेभाराम जो कि दीपा व भेभा पुत्रगण सुरजा के वारिस है को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। अतः वादीगण बनवारीलाल पुत्र दीपाराम व बलवीर पुत्र भेभाराम जाति जाट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान खातेदार फैजू खां पुत्र पन्ने खां का नाम हज्फ किया जाकर वादी के नाम की प्रविष्टि दर्ज की जावें। तहसीलदार फतेहपुर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार उक्त राजस्व रिकार्ड परिवर्तन पर स्टाम्प शूल्क राजकोष में जमाकर, उद्घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तदानुसार वर्तमान खाता संशोधित किया जावे।

खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करेंगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(दमयन्ती कंवर)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:00 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....फतेहपुर (सीकर)
इजलास.....दमयन्ती कंवर (आर.ए.एस..).....

1. बनवारीलाल पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

2. बलवीर पुत्र भैभारामजाति जाट निवासी ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

वादीगण

विपरीत

1. मैनुदीन खां पुत्र फैजु खां

2. लियाकत अली

3. शोकत अली

पुत्रगण मुकारब खां

4. अरसद अली

5. रजीया बानो पत्नी मोहम्मद हुसैन

6. राशीद अली

7. सलीम खांन

पुत्रगण मोहम्मद हुसैन

8. इस्लाम अली

9. असलम अली

10. अब्बास अली

11. इलियास अली

पुत्रगण स्वं यासीन खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

12. पटवारी वाके ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

13. तहसीलदार फतेहपुर जरिये भूमिधारक राजस्थान सरकार।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:00 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत उदघोषणा व बंटवारा

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)

मुकदमा नं.....20..........................सन्....2020..

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे..

व हाजिरी...श्री जाबिर अली एडवोकेट......................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री अमित महला मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि खसरा नम्बर 08 व नया 1412 रकबा 0.77 है०, खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.82 है० कुल किता 02 कुल रकबा 1.59 है० वाके ग्राम तनाजा बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान, वादीगण बनवारीलाल पुत्र दीपाराम व बलवीर पुत्र भेभाराम जो कि दीपा व भेभा पुत्रगण सुरजा के वारिस है को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। अतः वादीगण बनवारीलाल पुत्र दीपाराम व बलवीर पुत्र भेभाराम जाति जाट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान खातेदार फैजू खां पुत्र पन्ने खां का नाम हज्फ किया जाकर वादी के नाम की प्रविष्टि दर्ज की जावें। तहसीलदार फतेहपुर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार उक्त राजस्व रिकार्ड परिवर्तन पर स्टाम्प शूल्क राजकोष में जमाकर, उद्घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तदानुसार वर्तमान खाता संशोधित किया जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....29......माह ......जनवरी ....सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत..

(दमयन्ती कंवर)

ओहदा.........उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर-सीकर(राज.)..........

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	–	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	9		मुतफरिक	–	
मीजान	12			1	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:00 IST
Reason: SelfAttested

नोट — इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)